यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ताकुला** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ताकुला** के माह 04/2012 से 05/2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन, जो श्री खुशीराम नौटियाल-सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) एवं श्री रवि शंकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री दानिश इकबाल वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 04.06.2018 से 07.06.2018 तक सम्पादित की गयी।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।
2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-** इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र समस्त ताकुला ब्लॉक है। इकाई का मुख्य कार्य चिकित्सा से समन्धित स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना है। इकाई के अंतर्गत NHM की योजना संचालित है, योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं मे सुधार लाना है।

   (ii) (अ) **विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः**

(धनराशि ₹ लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत /समर्पण
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	00	00	335.44	273.95	0.50	0.50	00	61.49
2016-17	00	00	362.31	315.55	00	00	00	46.76
2017-18	00	00	404.48	381.93	0.10	0.10	00	22.55

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	आवंटन	ब्याज	कुल उपलब्ध धनराशि	व्यय	अंतिम अवशेष
2015-16	RCH Flexipool	249087	4051267	15738	4316092	4758056	-441964
	NRHM Additional ties	48145	1542556	5244	1595945	1399303	196642
	Immunisation	107117	609806	3526	720449	84562	635887
2016-17	RCH Flexipool	55191	3987040	21752	4063983	4622544	-558561
	NRHM Additional ties	302550	3051390	17153	3371093	3230373.5	140719.5
	Immunisation	271818	577580	12904	862302	583782	278520
2017-18	RCH Flexipool	23330	3460141	18052	3501523	2038301.6	1463221.4
	NRHM Additional ties	176219	3475074	25297	3676590	2599276	1077314
	Immunisation	272837	593184	7245	873266	436784	436482

(iii) इकाई को वेतन, औषधि, चिकित्सा उपकरण, एवं निर्माण आदि मदों हेतु बजट राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) हेतु बजट केंद्र सरकार से आवन्टित किया जाता है। मुख्यालय द्वारा इकाई को 'सी' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

(i) सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, शासन
(ii) महानिदेशक- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
(iii) निदेशक- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
(iv) मुख्य चिकित्सा अधिकारी
(v) उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी
(vi) प्रभारी चिकित्सा अधिकारी

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है। वर्तमान लेखापरीक्षा 04/2012 से 05/2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ताडिखेत के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ताडिखेत की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2014, 03/2016 एवं 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया था। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी. पी. सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर 1:- रोकड़ बही मे ₹ 8.44 लाख की धनराशि की प्रविष्टि न करना तथा ₹ 55.15 लाख के बिल/वाउचर का सत्यापन न होना एवं विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवण के आभाव मे ₹ 202135.50 की धनराशि राजकीय कोष मे जमा नहीं किया जाना तथा ₹ 17,59,607.55 की धनराशि का अनियमित व्यय।

शासन के पत्रांक सं०- 3 / xxvii(6) / 2013 दिनांक 02 जनवरी 2013 बिंदु संख्या 4.9 में ई-पेमेंट प्रणाली में दिए गये दिशा-निर्देशों के अनुसार 'आहरण एवं संवितरण अधिकारी इन्टरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराशि सम्बंधित के बैंक खातें में अंतरण हो जाने के विवरण का प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बंधित अभिलेखों - यथा 11सी पंजिका, कैशबुक, बिल रजिस्टर आदि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेंगे

कार्यालय प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ताकुला की रोकड़-बही (राज्य योजना) की विस्तृत जांच हेतु चयनित माह 03/2014, 03/2015 व 032016 की नमूना जाँच में पाया गया किवर्ष 2013-14 की इकाई मे प्राप्ति व व्यय (Transactions) की प्रविष्टिया रोकड़ बही मे नहीं गयी थी जिससे चयनित माह 03/2014 मे व्यय गयी धनराशि ₹ 844292/-का सत्यापन नहीं किया जा सका। चयनित माह 03/2015 मे व्यय की धनराशि ₹ 17,15,501/- के बिल/वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे व्यय की गयी उक्त धनराशि का मिलान रोकड़ बही से नहीं हो सका। इसी प्रकार चयनित माह 03/2016 मे व्यय की धनराशि ₹ 3800307/- के बिल/वाउचर प्रस्तुत नहीं किये गए जिससे व्यय की गयी उक्त धनराशि का मिलान रोकड़ बही से नहीं हो सका।

उत्तराखण्ड के चिकित्सा विभाग मे मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आहरण वितरण अधिकार के अन्तर्गत कार्यरत अधिकांश सामुदायिक स्वास्थ केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ केन्द्रो को स्वतंत्र आहरण वितरण अधिकार अप्रैल 2012 मे आवंटित किया गया था इसी क्रम मे प्राथमिक स्वास्थ केंद्र ताकुला को आहरण वितरण अधिकार प्राप्त हुआ था। प्राथमिक स्वास्थ केंद्र ताकुला के प्राधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ केंद्र तथा चार राजकीय एलोपैथी चिकित्सालय कार्यरत थे।

शासनादेश संख्या 984/5-1-2004 (80) 95 दिनांक 28 जून 2000 में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि राजकीय चिकित्सालयों में पंजीकरण शुल्क तथा विभिन्न प्रकार के चिकित्सीय परीक्षण सेवा/ सुविधाओं के प्रसंग में (यूज़र चारजेज़) प्राप्त होने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि चिकित्सा इकाई के स्तर पर गठित चिकित्सा प्रबन्धन समिति, और राजकीय एलोपथी चिकित्सालय के प्रकरण मे चिकित्सा सुधार समिति के खाते मे तथा 50 प्रतिशत धनराशि विभागीय प्राप्ति शीर्ष के अन्तर्गत कोषागार मे जमा किए जाने का प्राविधान किया गया था। चिकित्सा प्रबन्धन समिति के खाते मे जमा धनराशि का उपयोग तत्प्रयोजन हेतु गठित समिति के संकल्प के अनुसार पूर्व निर्धारित मदों में किए जाने की व्यवस्था की गयी थी।

प्राथमिक स्वास्थ केंद्र ताकुला के यूज़र चार्जेस से समबन्धित लेखा अभिलेखो के नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि यूज़र चारजेज़ से प्राप्त धनराशि का रख रखाव पूर्णतः अस्त-व्यस्त व अनियमित था। प्राथमिक स्वास्थ केंद्र ताकुला एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ केंद्र सोमेश्वर द्वारा नियमों एवं

प्राविधानों के इत्तर यूज़र चार्जेज की सम्पूर्ण धनराशि बैंक खाते मे जमा एवं व्यय किया जा रहा था। दोनों इकाइयों के अलग अलग बैंक खाते थे।

अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ केंद्र सोमेश्वर का बैंक खाता जिला सहकारी बैंक सोमेश्वर मे था जिसका खाता संख्या 000934029000282 था उक्त खाते का दिनांक 01.04.2016 से 25.05.2018 तक का बैंक स्टेटमेंट प्राप्त हुआ था जिसके अनुसार उक्त अवधि प्राप्ति एवं व्यय का विवरण निमन्वत था-

01.04.2016 को प्रारम्भिक शेष	1.4.2016 से 25.5.2018 के मध्य प्राप्ति	1.4.2016 से 25.5.2018 के मध्य व्यय	25.5.2018 को अंतिम शेष
588370.00	2,75,531.00*	6,44,834.75	219066.25

- **उक्त प्राप्ति मे से ₹ 155017.00 की राशि की प्राप्ति का स्रोत स्पष्ट नहीं था।**

इसी प्रकार प्राथमिक स्वास्थ केंद्र ताकुला का भी यूज़र चार्जेज से संबन्धित लेखा अभिलेख अस्त-व्यस्त था, यूज़र चार्जेज की रोकड़ बही का संधारण नहीं किया गया था, उक्त इकाई द्वारा भी यूज़र चार्जेज की 50% राशि कोषागार मे जमा न करके समस्त राशि नियमों के विपरीत बैंक खाते मे जमा नहीं किया जा रढ़ा था। उक्त इकाई का बैंक खाता जिला सहकारी बैंक ताकुला मे था जिसका खाता संख्या था-000635001000006 था। उक्त बैंक खाते का दिनांक 24.03.2013 से 6.06.2018 तक स्टेटमेंट प्राप्त हुआ, उक्त स्टेटमेंट के अनुसार प्राप्ति एवं व्यय का विवरण निमन्वत था-

24.03.2013 को प्रारम्भिक शेष	24.03.2013 से 06.06.2018 के मध्य प्राप्ति	24.03.2013 से 06.06.2018 के मध्य व्यय	01.06.2018 को अंतिम शेष, बैंक पास बुक के अनुसार
अप्राप्त	10,49,835.00*	1114772.80	142578.20

- उक्त प्राप्ति मे से ₹ 766078.00 की राशि की प्राप्ति का स्रोत स्पष्ट नहीं था। (यूज़र चार्जेज की राशि 1049835-766078=283757)

चिकित्सा प्रबंधन समिति खाते से धनराशि व्यय करने के पूर्व चिकित्सा प्रबंधन समिति द्वारा चिकित्सालय की आवश्यकताओं सम्बन्धी प्रस्ताव पारित होना चाहिए परन्तु जाँच में पाया गया की उक्त खाते से राशि का व्यय मनमाने तरीके से किया जा रहा था, चिकित्सा प्रबंधन समिति द्वारा प्रस्ताव न पारित नहीं किया गया था और न ही स्वीकृति प्राप्त की गयी थी। तथा चिकित्सा प्रबंधन समिति की रोकड़ बही भी नहीं बनाई गयी थी जो कि गंभीर अनियमितता थी।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्वास्थ केंद्र ताकुला तथा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ केंद्र सोमेश्वर द्वारा चिकित्सा प्रबंधन समिति के अलगा अलग खाता खोला गया था जबकि उक्त दोनों इकाई का आहरण वितरण अधिकारी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ केंद्र ताकुला के पास था तथा यूज़र चार्जेज के रूप मे प्राप्त राशि ₹ 404271.00 (प्राथमिक स्वास्थ केंद्र ताकुला ₹ 283757.00 + ₹ 120514.00 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ केंद्र सोमेश्वर) का 50% ₹ 202135.50 की विभागीय प्राप्ति शीर्ष के अन्तर्गत कोषागार मे जमा नहीं किया गया था तथा ₹ 1759607.55 (प्राथमिक स्वास्थ केंद्र ताकुला द्वारा ₹ 1114772.80 + ₹ 6,44,834.75 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ केंद्र सोमेश्वर द्वारा) की धनराशि को नियमो एवं प्राविधानों के इतर, व्यय किया गया था, जो एक गंभीर वित्तीय अनियमितता थी।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई द्वारा उत्तर मे बताया कि ₹ 8.44/- लाख (03/2014) की प्राप्ति व व्यय कि प्रविष्टि कर ली जाएगी तथा ₹ 17.15 लाख (3/2015) व 38.00 लाख (03/2015) के बिल/वाउचर आगामी लेखा परीक्षा को प्रस्तुत कर दिये जायेगे। इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि दिशा-निर्देशों के अनुसार देयकों व भुगतान की प्रविष्टि को रोकड़ बही में यथा स्थान करनी थी।

संप्रेक्षा द्वारा पूछे जाने पर इकाई मे तेनात वरिष्ठ सहायक द्वारा अवगत कराया गया कि तथ्यों एवं आकड़ों कि पुष्टि कि जाती है तथा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी पीजी कोर्स हेतु देहारादून गए हुये है इनके द्वारा समस्त कार्य संपादित किए जाते थे परंतु उनके द्वारा समन्धित अभिलेख एवं बिल वाउचर किसी को नहीं सौपे गए है एवं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी विधिवत कार्यमुक्त भी नहीं हुए है। वर्तमान मे कोई प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ताकुला मे तेनात नहीं है। अत: मेरे द्वारा समस्त बिन्दुओं का उत्तर देना सम्भव नहीं है।

इकाई का उत्तर स्वत: लेखापरीक्षा आपत्ति कि पुष्टि करता है क्योंकि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा समस्त कार्य स्वयं किया जाना, नियमों एवं प्राधिकारों कि अवहेलना करते हुये, बिना चिकित्सा प्रबन्धन समिति की स्वीकृति के धनराशि का व्यय करना तथा बिना विधिवत कार्यमुक्त हुये शिक्षा अवकाश पर जाना, विभागीय उदासिनता एवं अनुश्रवण के अभाव का घोतक था।

अत: ₹ 8.44 लाख (03/2014) की धनराशि की प्रविष्टि रोकड़ बही मे न करने तथा ₹ 55.15 लाख के बिल/वाउचर सत्यापन न होने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है एवं विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवण के आभाव मे ₹ 202135.50 की धनराशि राजकीय कोष मे जमा नहीं किया जाना तथा ₹ 17,59,607.55 की धनराशि का अनियमित व्यय का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1:- ₹ 16992/- की निष्प्रयोज्य सामग्री का लगभग 15 वर्षो से अनुपयोगी पड़े रहना।

सामान्य वित्तीय नियम के नियम 192 के अनुसार वर्ष में कम से कम एक बार भण्डार का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए एवं नियम 196 और 197 के अनुसार अनुपयोगी सामग्री/उपकरण को निष्प्रयोज्य घोषित कर उसकी यथाशीघ्र नीलामी की जानी चाहिए ताकि उक्त सामग्री को और मूल्य ह्रास से बचाया जा सके।

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ताकुला के अवधि 04/2012 से 05/2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा मे निष्प्रयोज्य सामग्री/उपकरण से संबन्धित नमूना जांच मे यह तथ्य प्रकाश मे आया कि वर्ष 2002-03 से **सलग्नक सूची** के अनुसार धनराशि **₹ 16992/-** की सामग्री अनुपयोगी पडी हुयी थी। इसके अतिरिक्त सूची मे steel Rack-04, wooden Rack-05, तथा examination stool-02 का मूल्य नहीं दर्शाया गया था।

उपरोक्त से स्पष्ट है की **₹16992/-** मूल्य के अनुपयोगी सामग्री काफी समय से ख़राब/ निष्प्रयोज्य पड़े हुए है, जिनकी नियमानुसार नीलामी नहीं की गयी है परिणाम स्वरूप उक्त सामाग्री का दिन प्रति दिन ह्रास हो रहा था।

उपरोक्त विवरण के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ केंद्र ताकुला मे वर्ष 2001 से जिप्सी संख्या UP 32T-5164 निष्प्रयोज्य/अनुपयोगी स्थिति मे पड़े हुए थी जिनको न तो निष्प्रयोज्य घोषित किया गया था और न निष्प्रयोज्य समग्रियों की सूची मे शामिल किया गया था।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है की उक्त अनुपयोगी समग्रियों का निस्तारण नहीं किए जाने से दिन प्रति दिन ह्रास हो रहा था जिसके कारण उक्त समग्रियों के नीलामी से होने वाली राजस्व प्राप्ति मे कमी आ रही थी जिसका परिणाम ये होगा की शासन को अप्रत्यक्ष हानी होगी।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वार तथ्यो एवं आंकड़ो की पुष्टि की गयी और उत्तर मे बताया कि निष्प्रोजय सामग्री कि नीलामी अतिशीघ्र कि जाएगी तथा कार्यालय महालेखाकर को सूचित किया जायेगा। इस प्रकार इकाई का उत्तर स्वतः लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है।

अतः ₹ 16992/- की निष्प्रयोज्य सामग्री का लगभग 15 वर्ष तक अनुपयोगी पड़े रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ताकुला (अल्मोड़ा)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

अप्रस्तुत अभिलेख:

(i) चिकित्सा प्रबंधन समिति से संबन्धित अभिलेख।

(ii) प्राप्ति (राज्य योजना) से संबन्धित अभिलेख (04/2012 से 12/2012)।

(iii) वर्ष 2012-13 से 2015-16 (JSY) जननी सुरक्षा योजना।

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) यूजरचार्जेस से संबन्धित अभिलेखो मे व चिकित्सा प्रबंधन समिति से संबन्धित अभिलेखों मे।

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :**

क्र०स०	नाम	पदनाम	अवधि
01	डॉ0 कुमार अमित	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, ताकुला	04/2012 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ताकुला (अल्मोड़ा)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, निकट IHM, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.